न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 10/2020

1. हाजीईमाम शांह पुत्र श्री मोहम्मद शांह
2. सिकन्दर पुत्र श्री दुलेखां
3. नाजमअली पुत्र श्री लखां
4. सखी पुत्र श्री बसकाया
5. यूसूफ पुत्र श्री शरीफ
6. अलाजवाया पुत्र श्री बसकाया

अकवाम मुसलमान साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

7. भगवानाराम पुत्र श्री मगंलाराम
8. लालाराम पुत्र श्री भगवानाराम

अकवाम नायक साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

9. रमजान पुत्र श्री बसकाया
10. फरीद पुत्र श्री शफी

अकवाम मुसलमान साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

11. सोहनलाल पुत्र श्री कालूराम जाति नायक साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़।
12. ठाकरूराम पुत्र श्री चन्दूराम जाति नायक साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़।
13. लूणेखां पुत्र श्री अकबर जाति मुसलमान साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकाराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) उपनिवेशन व सहपठित धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::– दिनाक :– 06/10/2020

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– प्रार्थीगण
2. पैरोकारराज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण गॉव ठुकराना के पुराने वाशिदे है तथा प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के दादा–पड़दादा इसी गॉव में रहते थे, प्रार्थीगण का परिवार पैतृक रूप से पिछले 100–150 वर्षो से रहता आ रहा है अधिकतम प्रार्थीगण का परिवार ठुकराना गॉव के बसने से लेकर आज तक रहता आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने–अपने रिहायशी मकान गॉव ठुकराना की आबादी में बना रखे है व अपने –अपने घरों से अपने–अपने खेतों में जाकर खेती का कार्य करते है व कृषि भूमि की आय से अपने–अपने परिवार का पालन–पोषण करते है। गॉव

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:35:25 IST
Reason: SelfAttested

ठुकराना की आबादी से चिपता रोही ठुकराना के खसरा न. 172/1 का .228 हैक. रकबा राज है जिसकी जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित प्रति सलंग्न जो न. 1 व 2 है। इस रकबा राज में से होता हुआ एक कदिमी रास्ता जो गॉव करडू को जाता है जिसकी चौड़ाई 3 बिस्वा है यह रास्ता गॉव ठुकराना के लोग व गॉव करडू के लोग इसी रास्ता से एक–दूसरे गॉव में आत–जाते है व अन्य गॉव के लोग जिनका वास्ता ठुकराना से करडू को पड़ता है या करडू से ठुकराना का पड़ता है वो आमजन भी इस रास्ता से आत–जाते है इसके अलावा इस रास्ता पर प्रार्थीगण का भी रकबा पड़ता है व गॉव के अन्य लोगों के खेत इस रास्ता पर स्थित है वो इस रास्ता पर चलते है। प्रार्थी न. 1 के नाम की रोही ठुकराना के खसरा न. 204 में सयूक्त खाता में खातेदारी रकबा है जो जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 3 है व प्रार्थी न. 2 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 649/202 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 4 है व प्रार्थी न. 3 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 574/179 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 5 है व प्रार्थी न. 4 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 640/202 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 6 है व प्रार्थी न. 5 के पिता शरीफ पुत्र अलादिता के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 654/203 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 7 है व प्रार्थी न. 6 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 587/183 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 8 है व प्रार्थी न. 7 स्वंय व उसके पुत्र प्रार्थी न. 8 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 638/202 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 9 है व प्रार्थी न. 9 व 10 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 182/202 में खातेदारी रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 10 है व प्रार्थी न. 11 के नाम से रोही ठुकराना के खसरा न. 642/202 में दससाला आवटन रकबा है जिसकी जमाबन्दी की असल प्रति प्रार्थना पत्र में सलंग्न न. 11 है व प्रार्थी न. 13 व 14 जो इसी गॉव के स्थाई निवासी है जिनका पेशा भी काश्तकारी है उनका रकबा भी इस रास्ता पर भी पड़ता है इस प्रकार प्रार्थीगण गॉव ठुकराना के काश्तकारी है जो गॉव ठुकराना से करडू जाने वाले पुराने चालू रास्ते (कदिमी रास्ता) से अपने–अपने खेंतों में आते–जाते है इस प्रकार प्रभावित पक्षकार है। रोही ठुकराना से करडू को जाने वाले रास्ता खसरा न. 172/1 में से होकर खसरा न. 179/2 के पश्चिमी कोना पर चिपता हुआ जाता है यह रास्ता राजस्व नक्शा में तो खसरा न. 179/2 के बीच से होता हुआ दर्शा रखा है परन्तु मौका पर यह रास्ता खसरा न. 172/1 में से निकलकर खसरा न. 179/2 के पश्चिती पासा में से होता हुआ चलता है। खसरा न. 179/2 की पश्चिमी पासा की सींव से चिपता हुआ जाता है। मौका पर से रास्ता इसी अनुसार पिछले 100–150 वर्षो से चलता है गॉव के लोगों ने इसी अनूसार रास्ता का उपयोग करके अपने–अपने घरों में जातें है। रोही ठुकराना से करडू जाने वाला रास्ता राजस्व जमाबन्दी में खसरा न0 172/1 के रकबा राज भूमि में रास्ता स्वीकृत होने से गॉव के कुछ असामाजिक लोग अनेक बार इस रास्ता को कटीली झाडियों व अन्य कई तरीकों से बन्द कर देते है। जिससे प्रार्थीगण व गावॅ के आमजन को कडी परेशानी होती है। जिससे प्रार्थीगण व गॉव के आमजन को कडी परेशानी होती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:35:25 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में इस रास्ता को 1–2 बार बन्द भी कर दिया था यह समस्या पैदा होने पर प्रार्थीगण व गॉव के लोगों ने इस रास्ता को खुलवाया था वर्तमान में गॉव से निकलते ही यह खसरा है व इस खसरा में मोड वगैरा होने से यह रास्ता 3 बिस्वा चौडाई में चालू है व प्रार्थीगण इस रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 0.038 यानि 3 बिस्वा रकबा गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करवाना चाहते हैं व राजस्व नक्शा में खसरा न. 172/1 में दर्ज कर खसरा न. 179/2 में भी नक्शा में रास्ता इस खसरा के पश्चिमी पासा की सींव की पास – पास अकंन किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जॉच रिपोर्ट मय नक्शा मगवाया गया जिसकी पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ ने पटवारी हल्का व भू.अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मगवाकर भिजवाई गई। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। चुकि: प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट पेश हो चुकी है इसलिये पुनः जवाब लेना उचित नही समझते है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण जो कि गॉव ठुकराना के काश्तकार है तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से प्राप्त भू.अभि. निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव नक्शा के अनुसार गॉव ठुकाराना की आबादी खसरा न. 171 में बसी हुई है तथा इस खसरा के पश्चिमी दक्षिणी कोना पर खसरा न. 172/1 में से 3 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता चालू है जो ठुकराना से करडू को जाने वाला एकमात्र गॉव से गॉव का रास्ता है। यह रास्ता खसरा न. 179 की पश्चिमी सीमा से चिपता हुआ चलता है तथा खसरा न. 179/2 में भी यह चालू रास्ता नक्शा में बीचोबीच दर्शाया गया है जबकि 179/2 के पश्चिमी सीमा पर चिपता हुआ चलता है। प्रार्थीगण खसरा न. 172 की पूर्वी सीमा से दक्षिण की ओर 1.00 बीघा लम्बा 3 बिस्वा रास्ता (0.038 हैक.) दर्ज करवाना चाहते है जो कदिमी रास्ता है तथा इन गॉवो के बसने के समय से चलता आ रहा है तथा कदिमी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में आमजन की सहुलियत के लिये स्वीकार करना न्याय हित में उचित समझते है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर रोही ठुकराना की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खसरा न. 172/1 के 0.228 हैक. रकबा राज भूमि में 0.038 हैक. (3 बिस्वा चौड़ाई) में इस खसरा के पूर्वी सीमा में दक्षिण की और रास्ता स्वीकार कर 0.038 हैक. रकबा आराजीराज से कलमजन कर गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा न. 179/2 के नक्शा में खसरा के बीचोबीच अकंन रास्ता को दुरूस्त करके इस खसरा के पश्चिमी सीमा पर दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

(मनोजकुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:35:25 IST
Reason: SelfAttested